रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906
No. 355] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVANA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1984

का. आ. 541(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी किस्म के पशु चारे के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (छ), (झ) और (ञ) के अधीन आदेश करने की शक्ति का प्रयोग वलसाद जिले के कलक्टर द्वारा भी किया जाएगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है :—

परन्तु उपर्युक्त छूट केवल ऐसे धात्विक सूत के अपशिष्ट को लागू होगी जो ऐसे कृत्रिम धात्विक सूत के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अभिप्राप्त होता है जिसके विनिर्माण में पोलियस्टर फिल्म या धात्विक पोलियस्टर फिल्म का प्रयोग किया जाता है जिस पर उक्त अधिनियम के अधीन उपयुक्त उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क पहले ही संदत्त कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसी फिल्म पर उद्ग्रहणीय उपयुक्त उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद शुल्क संदत्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि ऐसी फिल्म बाजार से क्रय की गई है ।

[फा. सं. 50/12/83-सीएक्स 2]

किशन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1984

NO. 164|84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 539 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts metallic yarn wastes, falling under sub-item IV of Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of said Act :

Provided that the aforesaid exemption shall be applicable only to such metallic yarn wastes obtained during the process of manufacture of man-made metallic yarn in the manufacture of which polyester film or metallised polyester film on which the appropriate duty of excise under the said Act or, as the case may be, the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), has already been paid, is used.

Explanation :—For the purposes of this notification, appropriate duty of excise of the said additional duty leviable on such film, shall be deemed to have been paid if it has been purchased from the market.

[F. No. 50|12|83-CX. 2]

KISHAN SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984